

**बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— रा०कृ०वि०यो०को०—०४/२०१४— प्रेषक,

**५५८९**

/कृ०, पटना, दिनांक

१६-१०-, २०१४

विश्वनाथ चौधरी,  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)–सह—  
निदेशक (प्रशासन)–सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन यांत्रिकरण (पावर टिलर) कार्यक्रम का 153.45 लाख रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख पैंतालीस हजार रुपये), ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का 795.00 लाख रुपये (सात करोड़ पनचानवे लाख रुपये), मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का 307.25 लाख रुपये (तीन करोड़ सात लाख पच्चीस हजार रुपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 200.00 लाख रुपये (दो करोड़ रुपये) कुल 1455.70 लाख रुपये (चौदह करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 232.91 लाख रुपये (दो करोड़ बत्तीस लाख एकानवे हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत यांत्रिकरण (पावर टिलर) कार्यक्रम का 153.45 लाख रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख पैंतालीस हजार रुपये), ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का 795.00 लाख रुपये (सात करोड़ पनचानवे लाख रुपये), मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का 307.25 लाख रुपये (तीन करोड़ सात लाख पच्चीस हजार रुपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 200.00 लाख रुपये (दो करोड़ रुपये) कुल 1455.70 लाख रुपये (चौदह करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 232.91 लाख रुपये (दो करोड़ बत्तीस लाख एकानवे हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 1455.70 लाख रुपये के विरुद्ध कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम का मदवार विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रुपये में) :—

मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय लक्ष्य
1. यांत्रिकरण (पावर टिलर)	संख्या	341	45000 रुपये प्रति इकाई	153.45
2. ई–किसान भवन का सुदृढ़ीकरण	संख्या	135	5.89 लाख रुपये प्रति इकाई	795.00
3. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	संख्या	39	—	307.25
4. आकस्मिकता	—	—	—	200.00
कुल				1455.70

3. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

- **यांत्रिकरण (पावर टिलर) :-** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के आलोक में वर्ष 2014-15 में 8 हॉर्स पावर का 341 पावर टिलर अनुदानित दर पर कृषकों के बीच वितरण किया जाना है। शेष कृषि यंत्रों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) अन्तर्गत लेना प्रस्तावित है। पावर टिलर पर अनुदान का भुगतान किसान मेला लगाकर किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं/डीलरों को आमंत्रित किया जायेगा। किसानों को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। स्वीकृति पत्र के आधार पर किसान अपनी पसंद से किसी भी निर्माता/डीलर से पावर टिलर खरीद सकते हैं। मेला में ही भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन के पश्चात अनुदान की राशि भुगतान किया जायेगा। खरीद के दो माह बाद तथा छः माह के अन्दर प्रत्येक किसान के घर जाकर पावर टिलर का सत्यापन किया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित पदाधिकारी तथा किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। मेला में पावर टिलर की गुणवत्ता तथा मूल्य पर ध्यान दिया जायेगा ताकि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले पावर टिलर उपलब्ध हो सके। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश कृषि यांत्रिकरण कोषांग से निर्गत होगा।
- **ई-किसान भवन का सुदृढ़ीकरण :-** राज्य में 467 ई-किसान भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। जिसमें 235 ई-किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसमें 100 को राज्य योजना अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। शेष 135 के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 5.89 लाख/ईकाई के दर से 7.95 करोड़ रुपये की योजना ली जा रही है।
- **मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण -** खरीफ 2014 में "मृदा स्वास्थ्य अभियान" अन्तर्गत राज्य के सभी राजस्व ग्रामों से मिट्टी नमूना का संग्रहण किया गया है। जिनकी जाँच 38 जिला स्तरीय एवं 1 राज्य स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में किया जाना है। जिसके लिए आवश्यक उपकरणों एवं रसायनों के क्रय करने हेतु 3.0725 करोड़ राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है।
- **आकस्मिकता -**
  - i. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधान के आलोक में योजना के कुल व्यय का 1 प्रतिशत प्रशासकीय/आकस्मिकता मद में व्यय की जा सकती है। उक्त प्रावधान के आलोक में दिनांक 21.05.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि प्रक्षेत्र के लिए आकस्मिकता मद में 2.00 करोड़ रु० स्वीकृत की गयी है। इस मद में स्वीकृत राशि का व्यय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए रखे गये कर्मियों एवं रखे जाने वाले कर्मियों के मानदेय भुगतान तथा अन्य आकस्मिक मद में किया जायेगा। जिसकी विस्तृत विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
  - ii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विहित प्रावधान के आलोक में आकस्मिकता मद में कर्णाकित राशि से मुख्यालय में एक तथा प्रत्येक जिला में एक फाइनांसियल कन्सलटेंट संविदा पर नियोजित किया जायेगा। राज्य मुख्यालय में एक लेखापाल, दो कन्सलटेंट एवं दो टेक्नीकल असिस्टेन्ट संविदा पर नियोजित किये जायेगे।
  - iii. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी होगें एवं इनके चयन में आदर्श आरक्षण रोस्टर एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश का पालन किया जायेगा।
  - iv. मुख्यालय के लिए स्वीकृत पदों पर नियोजन करने की कार्रवाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना/कृषि निदेशालय स्तर पर गठित होने वाली Bihar Agriculture Promotion Society द्वारा एक नियोजन समिति गठित कर की जायेगी। उक्त संस्थान द्वारा नियोजन की कार्रवाई कर चयन करते हुए चयनित आवेदक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग में उपलब्ध करायेंगे।
  - v. जिलों में फाइनांसियल कन्सलटेंट के स्वीकृत पद पर नियोजन करने की कार्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तर पर कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के चयन हेतु गठित समिति के माध्यम से की जायेगी। फाइनांसियल कन्सलटेंट के चयन के लिए सरकारी विभागों/निगमों/संस्थानों से सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी/लेखापाल या स्नातकोत्तर (वाणिज्य)

के साथ सरकारी विभागों/निगमों/संस्थानों में पाँच वर्ष का कार्य अनुभव वाले चयन के लिए अर्हक योग्यता रखेंगे।

- vi. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अवधि तक के लिए किन्तु प्रत्येक साल कार्य निष्पादन के आधार पर संविदा अवधि विस्तार का प्रावधान होगा।
- vii. फाइनांसियल कन्सलटेंट हेतु चयनित सेवानिवृत्त आवेदक को प्रतिमाह मानदेय मूल वेतन+DA से पेंशन की राशि घटाकर अधिकतम 20,000.00 (बीस हजार रुपये) एवं स्नातकोत्तर (वाणिज्य) आवेदक को प्रतिमाह 20,000.00 (बीस हजार रुपये) मात्र मानदेय देय होगा।
- viii. कन्सलटेंट एवं टेक्नीकल असिस्टेंट का योग्यता एवं मानदेय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के अनुसार होगा (मार्गदर्शिका अनुसूची— 2 संलग्न)।
- ix. मुख्यालय स्तर पर कार्यरत लेखापाल को पूर्व की तरह प्रतिमाह 10,000.00 (दस हजार रुपये) एवं जिला स्तर पर कार्यरत फाईनांसियल कन्सलटेंट को मूल वेतन+DA से पेंशन की राशि घटाकर अधिकतम 20,000.00 (बीस हजार रुपये) मानदेय भुगतेय होगा।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्द्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार के पत्रांक 7–1/2014–आर.के.भी.वाई. दिनांक 04.06.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 391.73 करोड़ रु० उद्द्यय कर्णाकित किया गया है। उक्त उद्द्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1–4/2014–आर०के०भी०वाई० दिनांक 29.08.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में प्रथम किस्त के रूप में 195.86 करोड़ रु० राशि विमुक्त की गई है। विमुक्त के पूर्व राज्यादेश संख्या 2501, 2502, 2503 दिनांक 12.06.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत खरीफ महाभियान के तहत कुल 281.9559 करोड़ रु० स्वीकृत है। स्वीकृति के आलोक में कुल 281.7630 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। योजना के ससमय कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट उपबंध के अधीन राशि की निकासी तथा व्यय किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि 232.91 लाख रुपये (दो करोड़ बत्तीस लाख एकानवे हजार रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–१ उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007890203 विषय शीर्ष– 31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 94.2656 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा यांत्रिकरण (पावर टिलर) योजना का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण के परामर्श, ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण योजना का कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान)–सह–प्रभारी पदाधिकारी ई–किसान भवन के परामर्श एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण योजना का कृषि निदेशक/ संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, केन्द्रीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना के परामर्श तथा आकस्मिकता योजना का अनुसूची–१ के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यांत्रिकरण (पावर टिलर) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण, ई–किसान भवन सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान)–सह–प्रभारी पदाधिकारी ई–किसान भवन एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायक मिट्टी रसायनज्ञ/उप कृषि निदेशक, केन्द्रीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), बिहार, पटना जिम्मेवार होंगे। बामेती/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 21.05.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 09.09.2014 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या—रा०क०वि०यो०को०—०४/२०१४ के पृ०सं०—२३/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—रा०क०वि०यो०को०—०४/२०१४ के पृ०सं०—२९/टि० पर दिनांक—24.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(५००५-१०-१५)  
(विश्वनाथ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

४५५९

ज्ञापांक —

/क०, पटना दिनांक १६-१०-२०१४

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५००५-१०-१५)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

४५५९

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक १६-१०-२०१४

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५००५-१०-१५)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

४५५९

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक १६-१०-२०१४

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५००५-१०-१५)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

४५५९

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक १६-१०-२०१४

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण/उप कृषि निदेशक, केन्द्रीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन

एजेंसी/सभी सहायक मिट्टी रसायनज्ञ/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शाष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई—मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

(४५५९) १५-१०-१५  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ४५५९

/कृ०, पटना, दिनांक १६-१०-, २०१४

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-११००११/ कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-११०००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ ✓ ✓ ०

(४५५९) १५-१०-१५  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—  
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1  
आकस्मिकता राशि का उपावंटन

(राशि लाख रु० में)

क्र०	जिला का नाम	फाईनांसियल कन्सल्टेंट का मानदेय	लेखापाल का मानदेय	कन्सल्टेंट का मानदेय	टेक्नीकल असिस्टेन्ट का मानदेय	आकस्मिकता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	2.40				2.00	4.40
2	नालन्दा	2.40				2.00	4.40
3	भोजपुर	2.40				2.00	4.40
4	बक्सर	2.40				2.00	4.40
5	रोहतास	2.40				2.00	4.40
6	कैमूर	2.40				2.00	4.40
7	गया	2.40				2.00	4.40
8	जहानाबाद	2.40				2.00	4.40
9	अरवल	2.40				2.00	4.40
10	नवादा	2.40				2.00	4.40
11	औरंगाबाद	2.40				2.00	4.40
12	भागलपुर	2.40				2.00	4.40
13	बांका	2.40				2.00	4.40
14	मुँगेर	2.40				2.00	4.40
15	जमुई	2.40				2.00	4.40
16	लखीसराय	2.40				2.00	4.40
17	शेखपुरा	2.40				2.00	4.40
18	सारण	2.40				2.00	4.40
19	सीवान	2.40				2.00	4.40
20	गोपालगंज	2.40				2.00	4.40
21	मुजफ्फरपुर	2.40				2.00	4.40
22	वैशाली	2.40				2.00	4.40
23	सीतामढी	2.40				2.00	4.40
24	शिवहर	2.40				2.00	4.40
25	पू० चम्पारण	2.40				2.00	4.40
26	प० चम्पारण	2.40				2.00	4.40
27	दरभंगा	2.40				2.00	4.40
28	मधुबनी	2.40				2.00	4.40
29	समरस्तीपुर	2.40				2.00	4.40
30	बेगुसराय	2.40				2.00	4.40
31	सहरसा	2.40				2.00	4.40
32	सुपौल	2.40				2.00	4.40
33	मध्यपुरा	2.40				2.00	4.40
34	खगड़िया	2.40				2.00	4.40
35	पुर्णिया	2.40				2.00	4.40
36	किशनगंज	2.40				2.00	4.40
37	अररिया	2.40				2.00	4.40
38	कटिहार	2.40				2.00	4.40
39	स०कू०नि, पटना					1.00	1.00
40	स०कू०नि, छपरा					1.00	1.00
41	स०कू०नि, गया					1.00	1.00
42	स०कू०नि, भागलपुर					1.00	1.00
43	स०कू०नि, दरभंगा					1.00	1.00
44	स०कू०नि, मुजफ्फरपुर					1.00	1.00
45	स०कू०नि, सहरसा					1.00	1.00
46	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	2.40	1.20	12.48	6.36	3.36	25.80
	कुल	93.60	1.20	12.48	6.36	86.36	200.00

संयुक्त निदेशक (बृहारुन) सह—  
निदेशक (प्रशासन) — सह—अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

## Operational Guidelines

Annexure-I (a)

### Basic Qualification, Experience and Honorarium of Advisors / Consultants / Technical Assistants

Level and post	Educational Qualification & Experience	Honorarium (Rs./ Month)	Conveyance Allowance (Rs./ Month)	Daily Allowance (Rs./Day)
<b>A. District level:</b>				
Consultants	1. Basic degree in Agriculture with Master Degree in Agronomy/Agri. Extension/Soil Science/Plant Protection/Crop Improvement having at least 10 years of field experience in crop production/Extension.	20,000	1,000	150 (for 10 days in a month) or as per state rules
	2. The person should have the ability of team leadership & motivation.			
Technical Assistants	1. Basic degree in agriculture with computer skills. In case of non -availability of agriculture graduates, candidates with basic degree in life sciences may be considered.	20,000	800	100 (for 10 days in a month) or as per state rules
	2. Person with experience of research and extension will be given preference.			
<b>B. State Level</b>				
Consultants	1. Doctorate Degree in Agronomy/ Agriculture Extension/Soil Science/Plant Breeding/Plant Protection /Crop Improvement having at least 10 years of field experience or Master Degree in above subject with at least 20 years of experience in crop production.	50,000	2,000	200 (for 10 days in a month) or as per state rules
	2. Ability to analyze data and preparation of projects, writing reports/seminar notes/articles as evidenced by publication in national and international journals.			
	3. The person should have the ability of team leadership & motivation.			
Technical Assistants	1. Master degree in Agriculture with specialization in management of field crops. Knowledge of computer essential.	25,000	1,500	150 (for 10 days in a month) or as per state rules
	2. Person with experience of research and extension will be given preference.			
<b>C. National Level</b>				
1. Advisors/ Consultants (6)	1. Doctorate Degree in Agronomy/ Agriculture Extension/Soil Science/Plant Breeding/Crop Improvement/Plant Protection or M. Tech in Agricultural Engineering having at least 15 years of field experience in crop production/Crop Improvement/natural resource management/mechanization or 5 years experience in the rank of Additional Commissioner in Government of India.	70,000	3,000	As per GoI rules
	2. Ability to analyze data and preparation of projects, writing reports/seminar notes/articles as evidenced by publication in national and international journals.			
	3. The person should have the ability of team leadership & motivation.			